BCCI BULLETIN

Vol. 53 | JUNE 2022 | No. 6

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु के राज्यपाल से मिला

तमिलानाडु के महामहीम राज्यपाल श्री रविन्द्र नारायण रवि को पुष्पगुच्छ भेंटकर अभिनंदन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल। साथ में (दाँयी तरफ) उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी। (बाँयी ओर) पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय एवं संयोजक श्री ए. के. पी. सिन्हा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 14 जून 2022 को अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल श्री रविन्द्र नारायण रवि से राजभवन, पटना में मिला।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया की महामहिम राज्यपाल के साथ बिहार के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास पर चर्चा हुई। महामहिम राज्यपाल ने तमिलनाडु में हो रहे औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुए प्रतिनिधिमंडल को बताया कि एक-एक उत्पाद का अलग-अलग औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि हाल में ही तमिलनाडु के थुथूकुडी में भारत का पहला अन्तराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला रखी गयी है। साथ ही उन्होंने चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल को औद्योगिक पार्क देखने के लिए आमंत्रित करते हुए हर प्रकार कि मदद का आश्वासन भी दिया।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी, संयोजक सुभाष कुमार पटवारी एवं ए. के. पी. सिन्हा, पूर्व महामंत्री पशुपति नाथ पाण्डेय तथा कार्यकारिणी सदस्य आशीष शंकर सम्मिलित थे।

पटना एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने हेतु एयरपोर्ट निदेशक के साथ चैम्बर के सदस्यों की बैठक

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा पटना एयरपोर्ट के निदेशक श्री अंचल प्रकाश एवं पटना एयरपोर्ट के अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर के साथ दिनांक 3 जून 2022 को बैठक आयोजित की गई जिसमें उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने एयरपोर्ट से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही एयरपोर्ट निदेशक ने भी एयरपोर्ट पर हो रहे विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति से व्यवसायियों को अवगत कराया।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि अंचल प्रकाश जी पहली बार चैम्बर पधारे हैं हालाकि इनके पूर्व जो-जो पटना एयरपोर्ट के निदेशक हुए हैं सभी ने राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ बैठक कर एयर सेवा को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लेते रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि देश के सभी एयरपोर्ट की भांति पटना में भी यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जो देश के विकास का एक अच्छा संकेत है और यह भी सत्य है कि अन्य लोगों की तुलना में उद्यमियों एवं व्यवसायियों को व्यापार के सिलसिले में अधिक यात्रा करने की आवश्यकता होती है अतः उन्होंने एयरपोर्ट निदेशक से अनुरोध किया कि एयर यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाना चाहिए।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से एयरपोर्ट निदेशक को एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न हैं :-

(1) उड़ान योजना के तहत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, समस्तीपुर, गया, आरा, मोतीहारी के एयरपोर्ट का समुचित विकास कर आवश्यक सुविधाएं मुहैया किया जाना चाहिए।

(2) गया एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान की अधिकाधिक सेवायें प्रारम्भ की जानी चाहिए।

(3) बिहार के काफी लोग विदेशों में काम करते हैं साथ ही काफी संख्या में व्यवसाय के सिलसिले में भी लोगों का विदेश आना-जाना रहता है।

शेष पृष्ठ 3 पर

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

चैम्बर ने केन्द्र सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद का विकल्प आने तक इस पर 1 जुलाई, 2022 से लगने वाले प्रतिबन्ध पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। इस सम्बन्ध में समाचार पत्र में विस्तार से छपी चैम्बर की न्यूज इसी बुलेटिन में प्रकाशित है।

चैम्बर की तरफ से माननीय केन्द्रीय वित मंत्री जीएसटी काउंसिल एवं उप- मुख्यमंत्री- सह-वित्त (वाणिज्य-कर) मंत्री से गैर ब्रांडेड खाद्यान्न वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से मुक्त रखने का आग्रह किया गया है। जीएसटी पर गठित मंत्रियों के समुह ने इन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रियों के समुह ने अनेक वस्तुओं को जीएसटी में प्राप्त छूट को समाप्त करने तथा कई वस्तुओं पर कर की दरों में वृद्धि की सिफारिश एकतरफा है क्योंकि उन्होंने केवल राज्य सरकारों का पक्ष ही जाना है, व्यापारियों से इस सम्बन्ध में कोई विमर्श नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित न्यूज चैम्बर बुलेटिन में प्रकाशित है।

चैम्बर ने 25 जून, 2022 को **जे०पी० गंगा पथ अटल पथ फेज-2 के साथ मीठापुर आर०ओ०बी० के शुभारम्भ का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद एवं श्रीमती रेणु देवी तथा पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन के प्रति आभार प्रकट किया है** और कहा है कि जे०पी० गंगा पथ और मीठापुर फ्लाई ओभर पर यातायात शुरू होने से पटनावासियों को काफी राहत मिली है। इससे पटना एम्स और पी०एम०सी०एच० के बीच परिचालन आसान होगा, रोगियों को सुविधा सहित जाम से मुक्ति मिलेगी।

यह हमारे लिए अत्यन्त खुशी की बात है कि **एमएसएमई (माईक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज) सेक्टर को प्रोत्साहित कर बिहार के औद्योगिक विकास को गति देने में प्राप्त सफलता हेतु भारत सरकार ने बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 के लिए चयनित किया है। बिहार को द्वितीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी के अथक प्रयास को जाता है।**

हमारे लिए यह भी खुशी की बात है कि रक्सौल में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना हुई है जिसका उद्घाटन केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा० मनसुख मंडाविया ने दिनांक 2 जून, 2022 को किया। **खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना से भारत-नेपाल के बीच व्यापार संवर्धन होगा।**

जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना के निदेशक श्री अंचल प्रकाश के साथ चैम्बर प्रांगण में दिनांक 3 जून, 2022 को एक बैठक हुई। इस बैठक में पटना एयरपोर्ट के अन्य वरीय अधिकारियों के साथ एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर भी उपस्थित थे। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की। **चैम्बर की ओर से आग्रह किया गया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाये। पटना से खाड़ी देशों, सूरत, पूणे, बागडोगरा, काठमांडू आदि की सीधी सेवा प्रारम्भ हो।** इस बैठक से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

पटना नगर निगम के नगर आयुक्त श्री अनिमेश कुमार पराशर के साथ चैम्बर प्रांगण में दिनांक 4 जून, 2022 को संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें मैंने कहा कि नगर आयुक्त के कार्यकाल में पटना नगर निगम पटना वासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करायेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके अतिरिक्त चैम्बर की ओर से **पटना स्मार्ट सिटी एवं मैट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण में तेजी लाने, निर्माण कार्य के चलते पटना के सड़कों की स्थिति को अविलम्ब दुरूस्त करने आदि सहित अन्य मांग की गयी।** इस बैठक से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट आपकी सूचनार्थ इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

दिनांक 6 जून, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली से **आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ICONIC WEEK समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को लाइव देखने हेतु आयकर विभाग, पटना की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में किया गया।** इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे अतिरिक्त महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं श्री आशीष प्रसाद सम्मिलित हुए।

मेरे नेतृत्व में चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 7 जून, 2022 को **श्री नितिन गड़करी, माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से राजकीय अतिथिशाला में औपचारिक भेंट वार्त्ता की। प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय मंत्री को बिहार में सड़क एवं पुल के प्रोजेक्ट पर चल रहे कार्यो में तेजी लाने हेतु एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया।** मैंने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं श्री नितिन गड़करी के प्रति महात्मा गाँधी सेतु के पूर्वी लेन का कार्य पूरा करने के लिए राज्य के तमाम उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से तथा चैम्बर की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली लाइफ लाइन पुल पुनर्जिवित हो गयी है। इससे लोगों के आवागमन की सुविधा सहित व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आयेगी। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री ए० के० पी० सिन्हा तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद सम्मिलित थे।

दिनांक 8 जून, 2022 को अमेरिका में निवास करने वाले बिहार एवं झारखंड के व्यवसायियों की संस्था **बिहार झारखण्ड एसोसियेशन ऑफ नौर्थ अमेरिका (BJANA) के अध्यक्ष श्री अनुराग कुमार** चैम्बर प्रांगण में मुझसे मिले। इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री ए० के० पी० सिन्हा, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय भी उपस्थित थे।

उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से **''इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्स्टाइल एवं लेदर पॉलिसी-2022 का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी** के कर कमलों द्वारा अधिवेशन भवन, पटना में दिनांक 8 जून, 2022 को हुआ। इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से मैं, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश माखरिया एवं अन्य सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए।

दिनांक 9 जून, 2022 को **DRAFT MSME POLICY** पर एक कार्यशाला का आयोजन अपर सचिव सह विकास आयुक्त (एमएसएमई) की अध्यक्षता में Video Conferencing (VC) के माध्यम से हुई जिसमें चैम्बर की ओर से इण्डस्ट्रीज सब कमिटी के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी शामिल हुए।

14 जून, 2022 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में **तमिलनाडू के महामहिम राज्यपाल श्री रवीन्द्र नारायण रवि से राजभवन, पटना में मिला।** महामहिम के साथ बिहार के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास पर चर्चा हुई। महामहिम राज्यपाल ने तामिलनाडू में हो रहे औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि एक-एक उत्पाद का अलग-अलग औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तामिलनाडू के थुथूकुड़ी में भारत का अंतरराष्ट्रीय फर्निचर पार्क की आधारशिला हाल ही में रखी गयी है। **महामहिम ने चैम्बर प्रतिनिधिमंडल को औद्योगिक पार्क देखने के लिए आमंत्रण सहित हर प्रकार के सहयोग का भी आश्वासन दिया।** प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री ए० के० पी० सिन्हा, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर शामिल थे।

16 जून, 2022 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आदर्श हॉस्पीटल, फुलवारी शरीफ के Hospital Development Committee की 47वीं बैठक हॉस्पीटल के प्रांगण में हुई जिसमें मैं सम्मिलित हुआ।

इस वर्ष अक्टूबर से राज्य के सभी असंगठित अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं अति कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। यदि सरकार द्वारा निर्धारित की गयी मजदूरी में किसी नियोक्ता ने कम भुगतान किया और लिखित शिकायत मिलने पर नियोक्ता पर कानूनी कारवाई हो सकती है। **इसकी अधिसूचना ऑन लाईन पोर्टल पर डाल दी गयी है, इस पर सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। प्राप्त सुझावों के आलोक में अंतिम अधिसूचना जारी की जायेगी।**

मेरे नेतृत्व में चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 30 जून, 2022 को **माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से मिला और एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित कर औद्योगिक विकास को गति देने में प्राप्त सफलता हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मिले एमएसएमई अवार्ड 2022 के लिए उन्हें बधाई दी।** प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री आशीष शंकर एवं श्री अजय गुप्ता शामिल थे।

बन्धुओं, कोरोना फिर से पाँव पसार रहा है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। जान है तो जहान है।

सादर,

आपका

पी० के० अग्रवाल

अध्यक्ष

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर डायरेक्टर एयरपोर्ट श्री अंचल प्रकाश, कमांडेन्ट श्री ए. के. झा एवं महाप्रबंधक श्री के. एस. विजयन तथा दाँयी ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

कार्यक्रम को संबोधित करते डायरेक्टर एयरपोर्ट श्री अंचल प्रकाश। उनकी दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी बाँयी ओर एयरपोर्ट कमांडेन्ट श्री ए. के. झा।

अंगवस्त्रम से डायरेक्टर एयरपोर्ट का सम्मान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल साथ मे एयरपोर्ट कमांडेन्ट श्री ए. के. झा।

अत: उनकी सुविधा के लिए पटना से सीधी विमान सेवा का प्रारम्भ किया जाना चाहिए, विशेष कर खाड़ी के देशों से जिससे कि मुम्बई, दिल्ली एवं कोलकता एयरपोर्ट का भार कम हो सके। पटना से काठमाण्डू की सीधी विमान सेवा अतिशीघ्र प्रारम्भ की जानी चाहिए।

(4) पटना से गौहाटी, सूरत, बागडोगरा के लिए सीधी विमान सेवा प्रारम्भ की जानी चाहिए जिससे कि उन स्थानों पर व्यवसाय के सिलसिले में एवं छुट्टियॉ मनाने हेतु जानेवाले लोगों को सुविधा हो। पटना से जयपुर के लिए सीधी सेवा प्रारम्भ की गयी थी परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि यह बराबर नहीं जा रही है। इसे नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। पटना से पूणे की विमान सेवा को पुन: प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

(5) सुरक्षा जॉच में प्रत्येक ट्रे के लिए दो टोकन का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि एक टोकन ट्रे में हो और दूसरा टोकन यात्री के पास, इससे यात्रियों को अपने सामानों की पहचानने में सहुलियत होगी।

(6) दिव्यांग लोगों की सुविधा हेतु प्रवेश द्वार पर हैड्रोलिक प्लैटफॉर्म की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

(7) दिल्ली एवं मुम्बई की भांति पटना में भी सभी मौसम में लैंडिंग की सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(8) भीड़-भाड़ वाले समय में पिक-अप एवं ड्रॉप के लिए पूर्व से निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

(9) सुरक्षा जॉच हेतु स्कैनर एवं काउन्टर की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए।

(10) एयरपोर्ट पर ब्राण्डेड एवं ननब्रांडेड खान-पान की सामग्रियों की कीमत बाजार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(11) चेक इन टाइम को कम किया जाना चाहिए। इससे एक तो यात्रियों को सुविधा होगी दूसरा एयरपोर्ट पर भीड़ भी कम होगी।

इस अवसर पर एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि एयर सेवा को जितना बेहतर बनाया जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट में गंगा जल ले

जाने के लिए पूर्व से निर्धारित जो वजन है, उसे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, पटना एयरपोर्ट के रनवे की लम्बाई बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, न्यू टर्मिनल प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है आशा है दिसम्बर 2023 तक पूरा हो जाएगा, कार्गो का भवन छः माह में पूरा हो जाएगा, लीची का एक्सपोर्ट करने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है, बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण में जो कुछ मामले आए हैं, उसका क्लीयरेंस का हमलोग इंतजार कर रहे हैं, वरीय नागरिकों के लिए व्हील चेयर की सुविधा अब एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर ही उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर पटना एयरपोर्ट के पदाधिकारी के. एस. विजयन, मनोज कुमार, देव कुमार, ए. के. पाठक, गणपति दास, संतोष कुमार, ओम प्रकाश, कमांडेट ए. के. झा, एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर अमर सहाय के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल तथा वरीय सदस्य सुभाष कुमार पटवारी, ए. के. पी. सिन्हा, पशुपति नाथ पाण्डेय, सच्चिदानन्द, अनिल पचीसिया, सावल राम ड्रोलिया, राजेश माखरिया, अजय गुप्ता, आशीष प्रसाद, राजाबाबू गुप्ता, सुबोध जैन, रामाशंकर प्रसाद के साथ-साथ काफी संख्या में उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने भाग लिया।

धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के साथ चैम्बर की बैठक

कार्यक्रम में ज्ञापन प्रस्तुत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। उनकी बाँयी ओर क्रमशः अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल, नगर आयुक्त श्री अनिमेष कुमार पराशर, सीइओ मो. शमशाद, कार्यपालक अभियंता श्री विजय कुमार।

कार्यक्रम को संबोधित करते नगर आयुक्त श्री अनिमेष कुमार पराशर। उनकी बाँयीं ओर नगर निगम के सीइओ मो. शमशाद एवं कार्यपालक अभियंता श्री विजय कुमार। दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ दिनांक 4 जून 2022 को चैम्बर प्रांगण में श्री अनिमेष कुमार पराशर, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के साथ बैठक आयोजित हुई जिसमें नगर आयुक्त ने पटना शहर के साफ-सफाई एवं सौन्दर्यीकरण से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी शहर की साफ-सफाई एवं सौन्दर्यीकरण में नगर निगम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और नगरवासियों को उनसे काफी अपेक्षाएं भी होती है। करीब -करीब पटना नगर निगम के सभी नगर आयुक्त चैम्बर में आते रहे हैं और उद्यमियों एवं व्यवसायियों की समस्याओं एवं उनके सुझावों को सुना है तथा उसके कार्यान्वयन की दिशा में पहल कराने का प्रयास किया है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में पटना नगर निगम का चहुमुखी विकास अवश्य होगा और पटनावासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मुहैया करायी जाएगी। इसके लिए चैम्बर आपको हर संभव सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन नगर आयुक्त को समर्पित किया जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न हैं :-

- पटना स्मार्ट सिटी एवं मैट्रो रेल परियोजना पर चल रहे निर्माण कार्य में और तेजी लाया जाए।
- सभी गंगा घाटों को विकसित एवं सौदर्यीकृत किया जाना चाहिए।
- नमामी गंगे प्रोजेक्ट एवं मैट्रो प्रोजेक्ट पर चल रहे कार्य के कारण सड़कों की खुदाई को अविलम्ब भरा जाना चाहिए।

नगर आयुक्त श्री अनिमेष कुमार पराशर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल।

नगर आयुक्त श्री अनिमेष कुमार पराशर को चैम्बर का मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

- मौर्या लोक पटना में नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाना चाहिए।
- पटना के विभिन्न भागों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जानी चाहिए।
- पटना शहर में बस/टैक्सी/ऑटो रिक्सा/ई-रिक्सा की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसे व्यवस्थित करने हेतु पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ओवर ब्रीज के नीचे के अवैध कब्जों को हटाया जाना चाहिए।
- ट्रान्सपोर्ट नगर के सड़कों को दुरूस्त किया जाना चाहिए साथ ही आवश्यक सुविधाएं मुहैया करायी जानी चाहिए।
- अपार्टमेंट का नक्शा पास करने पर रोक को हटाया जाना चाहिए तथा इसकी प्रक्रिया को सहज बनाया जाना चाहिए।
- कचरा शुल्क उन्हीं से लिया जाना चाहिए जहाँ से कचरा निकलने की संभावना है।
- पटना शहर में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत कुछ वार्डों में निर्मित जन सुविधा केन्द्र को क्रियाशील बनाया जाना चाहिए।
- वार्ड संख्या 53 में साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाना चाहिए।
- पटना शहरी क्षेत्रों एवं सड़कों से आवारा पशुओं, सुअरों एवं कुत्तों इत्यादि को दूर रखने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
- खुले में शौचालय/मूत्र विसर्जन एवं खुले नाले/मेन हॉल में सिल्ट का निस्तारण पर सख्ती से पाबंदी लगाया जाना चाहिए।
- पटना नगर निगम के सभी वार्डों में फॉगिंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। गलियों में मोटर साईकिल एवं साईकिल से फॉगिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- प्रोपर्टी टैक्स के बकाये एवं लंबित मामलों का निपटारा हेतु एक मुश्त समझौता योजना लाया जाना चाहिए। सभी वार्डों में प्रोपर्टी टैक्स जमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- शहर में मुख्य सड़कों जैसे न्यू मार्केट, हथुआ मार्केट, पटना मार्केट आदि में अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए।
- एक निश्चित समय सीमा के अन्दर व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उक्त अवसर पर नगर आयुक्त ने अपने सम्बोधन में कहा कि मैट्रो रेल प्रोजेक्ट में निगम की ओर से जमीन का अनापत्ती प्रामण पत्र दे दिया गया है, इंटीग्रेटेड कमांड सेन्टर बहुत जल्द कार्य करने लगेगा, पटना के बाकरगंज, सरपेंटाइन नाला, आनन्दपुरी नाला को पूरी तरह से ढककर इस पर रोड का निर्माण किया जाएगा साथ ही इसके अलग-बगल के क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, मौर्यालोक में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण जल्द प्रारम्भ किया जाएगा, नक्शा बनाने में आनेवाली कठिनाईयों के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, 36 जगहों पर स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था होगी, ट्रान्सपोर्ट नगर के क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा, डॉग कैचर का प्रावधान किया गया है, जल-जमाव की समस्या का तुरन्त समाधान के लिए क्विक रिसपौंस टीम का गठन किया गया है, जन सुविधा केन्द्र को इन्टीग्रेट करके जल्द सेवा शुरू किया जाएगा, ट्रेड लाइसेंस एवं म्युटेशन को भी ऑन लाइन कराने का प्रावधान किया गया है। पटना के अति व्यस्त व्यवसायिक स्थलों के अतिक्रमण को अभियान चलाकर व्यवस्थित किया जाएगा।

बैठक में निगम की ओर से मो. शमशाद, सीईओ, विजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, अरविन्द कुमार, सिटी मैनेजर सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी के साथ-साथ वरीय सदस्य ए. के. पी. सिन्हा, रामाशंकर प्रसाद, पशुपति नाथ पाण्डेय, राजा बाबू गुप्ता, राजेश जैन, अजय गुप्ता के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यसायी के अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण सम्मिलित हुए एवं अपना-अपना सुझाव दिया।

चैम्बर के महामंत्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने श्री नीतीन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से औपचारिक भेंट किया

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में नीतीन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार से राजकीय अतिथिशाला, पटना में दिनांक 7 जून 2022 को औपचारिक भेंट किया और बिहार में सड़क एवं पुल के प्रोजेक्ट पर चल रहे कार्यों में तेजी लाने हेतु एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया।

सर्वप्रथम चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं नीतीन गडकरी को महात्मा गाँधी सेतु के पूर्वी फ्लैंक का कार्य पूरा कराने के लिए अपनी ओर से एवं राज्य के उद्यमियों तथा व्यावसायियों की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे बिहार के व्यवसायिक गतिविधियों में तो तेजी आएगी ही साथ ही उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार के आने-जाने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, संयोजक सुभाष कुमार पटवारी एवं ए. के. पी. सिन्हा के साथ-साथ कार्यकारिणी सदस्य रामाशंकर प्रसाद शामिल थे।

माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नीतीन गडकरी का पुष्पगुच्छ भेंटकर अनिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, माननीय पथ निर्माण मंत्री बिहार श्री नितिन नवीन, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद एवं श्री ए. के. पी. सिन्हा।

माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नीतीन गडकरी से मिलकर ज्ञापन समर्पित कर वर्त्ता करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। बाँयें से उपस्थित क्रमशः मा. पथ निर्माण मंत्री बिहार श्री नितिन नवीन, मा. केन्द्रीय राज्यमंत्री उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण श्री अश्विनी कुमार चौबे, मा. केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह, मा. केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नीतीन गडकरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल, मा. उप मुख्य मंत्री-बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, संयोजक श्री ए. के. पी. सिन्हा, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

श्री अग्रवाल ने बताया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से गडकरी को समर्पित ज्ञापन के प्रमुख बिन्दु निम्न हैं :-

- पटना के यातायात बोझ को कम करने के लिए अनिसाबाद से कच्ची दरगाह तक एलीवेटेड रोड का निर्माण कराया जाए। एलीवेटेड रोड बाइपास का काम करेगा तथा नीचे की सड़क स्थानीय मूवमेंट का काम करेगी।
- पटना के जीरो माइल पहाड़ी पर एक मल्टीलेयर जंक्शन या रोटरी जंक्शन का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि महात्मा गाँधी सेतु के साथ-साथ वाहनों की सुगम आवाजाही के लिए इसके समानांतर प्रस्तावित पुल को जोड़ा जा सके।
- राजेन्द्र सेतु मोकामा सड़क-सह-रेल पुल के मरम्मती कार्य में तेजी लायी जानी चाहिए।
- पटना-गया-डोभी, पटना-बक्सर, पटना-आरा-मोहनिया रोड, हाजीपुर-छपरा 4 लेन रोड, गया-राजगीर-बिहारशरीफ रोड, गाँधी सेतु के समानान्तर हाजीपुर तक बनने वाले 8 लेन रोड तथा रक्सौल रोड पर चल रहे रोड/पुल के निर्माण कार्य की मॉनीटरिंग करते हुए ससमय पूरा कराया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों एवं विशेषज्ञता की कमी को ध्यान में रखते हुए बख्तियारपुर से ताजपुर गंगा पर पुल, सुल्तानपुर में अगुवानी तक गंगा पर पुल एवं कच्ची दरगाह से बिदुपुर गंगा नदी पर बनने वाले छः लेन पुल के कार्यों को राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार को कराया जाना चाहिए।
- राज्य के सभी प्रमुख एवं छोटे शहरों के लिए रिंग रोड एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाना चाहिए जिससे कि 24x7 वाहनों का आवागमन होता रहे क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक नो इंट्री रहने के कारण वाहनों को अनावश्यक रूप से रूके रहना पड़ता है।
- राज्य में अधिकतम 50 किलोमीटर पर 4 लेन एवं 6 लेन सड़कों का

ग्रिड बनाया जाना चाहिए।

- माननीय प्रधानमंत्री ने मल्टी मॉडल परिवहन के लिए गति-शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना को सफल बनाने हेतु पूरे भारत में कंटेनरीकरण को अपनाया जाना चाहिए और सभी बिन्दुओं पर कंटेनर हैंडलिंग सुविधा एवं कंटेनर स्टैकिंग सुविधा प्रादन की जानी चाहिए। रेलवे को भी भारत में सभी महत्वपूर्ण माल टर्मिनलों के सभी टर्मिनलों पर कंटेनर हैंडलिंग सुविधा को अपनाना चाहिए।
- सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए व्यस्त जंक्शन पर पैदल यात्री क्रॉसिंग के लिए अंडर पास या उपरी पुल का निर्माण कराया जाना चाहिए, वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए ड्राइविंग स्कूल या अधिकाधिक सिमुलेटरों को खोला जाना चाहिए, सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना या ईयर फोन लगाना सख्त रूप से वर्जित किया जाना चाहिए।
- राजमार्गों पर परिवहन बाधारहित बनाया जाना चाहिए। उस राज्य/शहरी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में सड़क पार करने के बाद ही किसी भी प्रकार के कर की वसूली की जानी चाहिए।
- जब भी सड़क की मरम्मती होती है उसकी उँचाई बढ़ जाती है जिससे अगल-बगल मकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान सड़क से नीचे हो जाते हैं जिससे ऐसी संपत्तियों के मालिकों को भारी कठिनाई होती है। अतः सड़क को पहले पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद ही मरम्मती का कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि उसकी उँचाई नहीं बढ़े।
- नेशनल हाईवे/स्टेट हाईवे क्रॉसिंग गांवों/बस्तियों के पास ओवर पास या अंडर पास का निर्माण कराया जाना चाहिए जिससे कि वाहनों एवं लोग दोनो को सुरक्षित मार्ग मिल सके। पब्लिक/मवेशियों को राजमार्ग पर आने से रोकने के लिए एनएच एवं एसएच में बैरिकेड्स होनी चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ICONIC WEEK समारोह के उद्घाटन का लाइव प्रसारण चैम्बर सभागार में

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा Iconic Week समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम का चैम्बर में लाइव प्रसारण देखते आयकर के अधिकारीगण एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

लाइव प्रसारण देखते आयकर विभाग, पटना के अधिकारीगण एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

दिनांक 6 जून 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा विज्ञान भवन, नयी दिल्ली से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत Iconic Week समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए आयकर विभाग, पटना की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में किया गया।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बिहार चैम्बर की ओर से अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं श्री आशीष प्रसाद सम्मिलित हुए।

उद्योग विभाग द्वारा 'इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी - 2022' के लोकार्पण कार्यक्रम में चैम्बर हुआ शामिल

इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के लोकार्पण समारोह में मंचासीन माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप-मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप पौंड्रिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार एवं अन्य।

दिनांक 8 जून 2022 को उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से 'इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी-2022' का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर-कमलों द्वारा अधिवेशन भवन, पटना में हुआ।

इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से अध्यक्ष श्री पी. के.अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश माखरिया एवं सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी-2022 के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश माखरिया एवं सम्मानित सदस्यगण।

इन्वेस्टर्स मीट • सीएम ने टेक्सटाइल व लेदर पॉलिसी 2022 का लोकार्पण किया

उद्योगपतियों से बोले सीएम

उद्योग लगाने में बिहार जितनी मदद कहीं और नहीं, जरूर आएँ

जमीन, 10 करोड़ सब्सिडी तक सहित कई सुविधाएँ :

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योगपतियों से कहा कि उद्योग लगाने के लिए बिहार जितनी मदद और किसी राज्य में नहीं है। उद्योग लगाने के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए, सरकार उस पर अमल करेगी। हम जमीन से लेकर घन तक की मदद देने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री, दिनांक 8 जून 2022 को इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बिहार टेक्सटाइल व लेटर पॉलिसी 2022 का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पॉलिसी के तहत प्लांट एवं मशीनरी के लिए पूँजी निवेश पर लागत का 15 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 10 करोड़ तक की मदद दी जाएगी। बिजली शुल्क पर प्रति यूनिट 2 रुपए अनुदान और उद्योग में कार्यरत कर्मी को 5 हजार रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी 30 प्रतिशत यानी माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक के लिए अनुदान दिया जाएगा। अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराने पर रजिस्ट्रेशन खर्च का 50 प्रतिशत और अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान है। यहाँ उद्योग लगेगा तो बिहार के लोगों को यहीं काम मिलेगा।

सीएम नीतीश बोले :

बिहार इथेनॉल के उत्पादन में भी नंबर वन पर होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं एवं युवाओं को उद्योग लगाने के लिए अब तक सरकारी योजना के तहत 596 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अल्प-संख्यक रोजगार योजना के तहत अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक की सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण। बिहार में इथेनॉल के उत्पादन के लिए बहुत पहले 21 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया था। उस समय की केन्द्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। अभी केन्द्र सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है। बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हो गया है। बिहार में इथेनॉल के 17 प्लांट की मंजूरी मिल गयी है। आने वाले समय में इथेनॉल उत्पादन में बिहार देश में नंबर वन रहेगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.6.2022)

बिहार में पहली फूड लैब शुरू, अब सैंपल नहीं भेजना पड़ेगा कोलकाता

रक्सौल में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने किया उद्घाटन

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रक्सौल में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। खाद्य प्रयोगशाला के संचालन से भारत-नेपाल के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पहले भारत से खाद्य पदार्थ नेपाल भेजने के लिए जाँच के लिए कोलकाता भेजना पढ़ता था। जाँच के बाद नेपाल तक पहुँचने में सामान खराब हो जाता था। अब इस समस्या का समाधान हो गया है। अब यहीं जाँच के बाद नेपाल सामान भेजा जा सकेगा। व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण के लिए आयुष्मान भारत कार्ड योजना लागू किया।

सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मांडविया के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि जब-जब बिहार ने स्वास्थ्य के लिए कुछ भी मांगा है, बिहार को मिला है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 6.6.2022)

बिहार झारखण्ड एसोसियेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (BJANA) के अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष से मिले

बिहार झारखण्ड एसोसियेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष श्री अनुराग कुमार बिहार चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पदाधिकारियों के साथ भेंट वार्त्ता करते हुए।

बजाना के अध्यक्ष श्री अनुराग कुमार को अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में बिहार चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री ए. के. पी. सिन्हा एवं अन्य।

दिनांक 08 जून 2022 को अमेरिका में रहने वाले बिहार-झारखंड के भारतीय व्यावसायियों की संस्था बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (BJANA) के अध्यक्ष श्री अनुराग कुमार चैम्बर प्रांगण में अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल से मिले।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री ए. के. पी. सिन्हा, पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय उपस्थित थे।

फल, सब्जी प्रसंस्करण में 4 परियोजनाएँ मंजूर

राज्य सरकार ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत पूंजीगत अनुदान देने के लिए फल, सब्जी और मक्का प्रसंस्करण के क्षेत्र में चार परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन यूनिटों में केले एवं आलू के चिप्स, मक्का आधारित स्नैक्स और मसालों का प्रसंस्करण होगा।

10 प्रोजेक्ट स्वीकृत : 9 जून 2022 को कृषि सचिव डा. एन. सरवण कुमार की अध्यक्षता में कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाई गई थी। पूंजीगत अनुदान को ध्यान में रखते हुए उक्त फैसला लिया गया। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21.33 करोड़ है। अनुदान राशि 1.51 करोड़। अभी तक कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जिनकी कुल लागत 35.34 करोड़ रुपये है। विभाग का दावा है कि परियोजनाओं के प्रारंभ होने से पटना, भोजपुर, बेगूसराय, पू. चंपारण और वैशाली क्षेत्र में लगभग तीन सौ लोगों को रोजगार मिलेगा।

करीब 317 करोड़ है लागत : एन सरवण कुमार ने बताया कि कृषि से संबंधित उद्यमियों द्वारा कृषि निवेश प्रोत्साहन के सात चिह्नित प्रक्षेत्र में कुल 52 परियोजनाएं जैसे मक्का प्रसंस्करण आधारित 25, बीज प्रसंस्करण आधारित आठ मखाना आधारित पाँच, फल व सब्जी आधारित नौ, मधु प्रसंस्करण आधारित तीन, औषधीय और सुगधित पौधे एवं चाय प्रसंस्करण आधारित एक-एक परियोजनाएँ समर्पित की गई हैं। इन पर कुल लागत करीब 317 करोड़ रुपये है। बैठक में उद्यान निदेशक नंद किशोर के साथ ही वित्त, उद्योग, नाबार्ड, एपीडा, बिहार कृषि विवि, सबौर के प्रतिनिधियों एवं उद्यान निदेशालय के पदाधिकारी सहित तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों ने भाग लिया।

(साभार : आई नेक्स्ट, 10.6.2022)

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने बिहार को मिले एम.एस.एम.ई. अवार्ड के लिए माननीय उद्योग मंत्री को बधाई दी

माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में दिनांक 30 जून 2022 को बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से मिला एवं बिहार को मिले एम.एस.एम.ई. अवार्ड के लिए बधाईयाँ दी।

प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर, श्री राजेश माखरिया एवं श्री अजय गुप्ता शामिल थे।

बगैर ब्रांड वाले खाद्यान्न वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त रखे सरकार : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्रीय वित्त मंत्री, जीएसटी काउंसिल एवं उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्यकर मंत्री, बिहार से आग्रह किया है कि जनहित में बिना ब्रांड वाले खाद्यान्न को कर से मुक्त रखा जाए। किसी भी परिस्थिति में इन वस्तुओं को 5 प्रतिशत के कर दायरे में नहीं लाया जाए, जिसकी सिफारिश जीएसटी पर गठित मंत्रियों के समूह ने किया है। इन वस्तुओं को कर के दायरे में लाने से पूर्व व्यवसायियों के साथ परामर्श करने के बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना चाहिए।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि सरकार का बिना ब्रांड वाले खाने-पीने के सामानों को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इस पर मंत्रियों के समूह की बैंठक में आपसी सहमती भी बन चुकी है तथा इसे अन्तिम रूप देने के लिए जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में (28-29 जून) को रखा जाएगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि खाने-पीने का सामान एवं अनाज अत्यावश्यक वस्तुओं में आता है, जिसकी आवश्यकता हरेक व्यक्तियों को होती है। यही कारण है कि पूर्व की कर प्रणाली जब बिक्रीकर या वैट था, उस समय भी इन वस्तुओं को कर मुक्त की श्रेणी में रखा गया था। खाने-पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगाने का सीधा आर्थिक बोझ देश के करीब 130 करोड़ लोगों पर पड़ेगा जो कि पहले से ही महंगाई की मार को झेल रहे हैं। आम आदमी की आमदनी कम हो रही है, जबकि खर्चा बढ़ता जा रहा है।

उन्होने बताया कि प्रतिमाह जीएसटी राजस्व संग्रह के आंकड़े में वृद्धि हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में खाने-पीने की वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। साथ ही सरकार की यह सोच 'सब का साथ सब का विकास' के प्रतिकूल है। इन वस्तुओं को टैक्स के दायरे में लाने से छोटे व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा गांवों-कस्बों में रहने वाले निरक्षर लोगों और व्यवसायियों के बीच टैक्स को लेकर विवाद होना भी संभव है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक है कि जीएसटी कर कानूनों एवं नियमों की नए सिरे से पुन: समीक्षा की जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रियों के समूह ने अनेक वस्तुओं को जीएसटी में प्राप्त छूटों को समाप्त करने तथा अनेक वस्तुओं की कर की दरों में वृद्धि करने की सिफारिश एकतरफा है, क्योंकि उन्होंने केवल राज्य सरकारों का पक्ष ही जाना है और व्यापारियों से इस मामले पर कोई चर्चा तक नहीं की गई है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल का कोई भी एकतरफा निर्णय प्रधानमंत्री के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्यों के विरूद्ध होगा।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 24.6.2022)

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से बंद हो जाएँगे हजारों उद्योग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सिंगल युज प्लास्टिक (एसयूपी) का विकल्प आने तक उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए इसे प्रतिबंधित करने पर पुर्नविचार करने का आग्रह सरकार से किया है। चैम्बर ने सरकार से मांग की है कि इसके विकल्प के लिए वरीय अधिकारियों एवं विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की टास्क फोर्स गठित की जानी चाहिए। टास्क फोर्स इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श कर इसके समान विकल्प को विकसित करे ताकि बैकल्पिक वस्तु के उपयोग के बाद भी इसकी कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी न हो।

चैम्बर ने कहा : बेरोजगार होंगे करोड़ों लोग, प्रतिबंध पर सरकार फिर करे विचार

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि देश के सभी व्यवसायियों की तरह बिहार के व्यवसायी भी एकल उपयोग प्लस्टिक पर सरकार की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंध के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि यह व्यवहारिक कदम है और पर्यावरण की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन, बगैर उचित विकल्प के प्रतिबन्ध लगाने से इस सेक्टर में कार्य कर रही निर्माण इकाइयाँ और इनका व्यापार पूरी तरह प्रभावित होगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में फूड ग्रेड मैटेरियल से प्लास्टिक कटोरी, ग्लास, कप, थाली बनती है। यह मैटेरियल आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल, रिलायंस जैसी कंपनियाँ उपलब्ध कराती हैं, जिस कारण इसकी लागत 30-50 पैसे होती है जो आम उपभोक्ताओं की पहुँच में होता है। प्रतिबंध के बाद बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से ये उत्पादन बनेंगे। इसे जर्मनी, अमेरिका, ब्राजील और चाइना से आयात करना पड़ेगा। फलस्वरूप प्लास्टिक ग्लास की कीमत एक रुपए से बढ़कर चार रुपये हो जाएगी। ऐसी परिस्थि में यह आमलोगों की पहुँच से बाहर हो जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक का वार्षिक कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है। बिहार में बहुत ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिन्हें यदि सस्ते में बायोडिग्रेडबल प्लास्टिक उपलब्ध नहीं कराया गया और प्रतिबंध का समय नहीं बढ़ाया गया तो यूनिटें बंद हो जायेंगीं। करोड़ों लोगों का रोजगार छिन जायेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का मतलब है दैनिक उपयोग के साथ शादी-विवाह सामाजिक समारोहों सहित अन्य कार्यक्रमों में उपयोग में आने वाली सामग्रियाँ यथा-थाली, ग्लास, चम्मच, कांटा, प्लेट, कटोरी, प्लास्टिक की डंडियों वाले ईयर

बधाई

चैम्बर के सदस्य श्री विपिन चाचान रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3250 के गवर्नर के रूप में निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक रहेगा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की ओर से श्री चाचान को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चैम्बर आशान्वित है कि उनके कार्यकाल में रोटरी के क्रियाकलाप मील के पत्थर शामिल होंगे।

CHAMBER'S REPRESENTATION IN DRUCC, EAST CENTRAL RAILWAY, DANAPUR

Shri Ramashankar Prasad Member of Bihar Chamber of Commerce & Industries has been nominated to represent Chamber in DRUCC, East Central Railway, Danapur for the term 2022-2023.

Members are requested to send their Railway problems to Shri Ramashankar Prasad.

बड, बैलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपाप एवं आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी समान, कप, चाकू, ऐश ट्रे, मिठाई के डब्बे पर लगनेवाली पत्ली, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर आदि का उपयोग बन्द हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि देश में एकल उपयोग प्लास्टिक का करीब 98 प्रतिशत उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कारपोरेट निर्माताओं, उत्पादकों, ई-कॉमर्स कंपनियों, वेयर हाउस हब, उद्योग और अन्य प्रकार की उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पादन लाइन या तैयार माल की पैकेजिंग में किया जाता है। निर्माण के स्रोत से व्यापारियों को जो भी पैकिंग मिलती है उसी में व्यापारियों द्वारा सामान बेचा जाता है। जब तक इन कंपनियों और निर्माण इकाइयों द्वारा उत्पादन लाइन में या तैयार माल की पैकिंग में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को बंद नहीं किया जाता है तब-तक उपभोक्ताओं के स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग की संभावनाएँ बनी रहेगी।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 25.6.2022)

रियल एस्टेट अधिनियम के तहत नहीं वसूला जा सकता विलंब शुल्क

रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में तय किया कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं 2017 के तहत नए प्रोजेक्ट के पंजीकरण में विलंब शुल्क वसूल करने का कोई प्रविधान नहीं है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी अपंजीकृत प्रोजेक्ट, भूखंड या अपार्टमेंट का विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग, बिक्री या बिक्री की पेशकश के लिए आमंत्रित करना रेरा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अपराध है। रेरा कानून के तहत गलत और बेईमान प्रमोटरों को धारा 59 के तहत दंडित करने का प्रावधान है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बिहार रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम-2017 के नियम तीन के तहत एक प्रमोटर को आवेदन के समय पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है, लेकिन वहाँ विलंब शुल्क लगाने के लिए नियम के तहत कोई योजना नहीं है।

(साभार : दैनिक जागरण, 16.6.2022)

निःशुल्क टैली अकाउंटिंग कोर्स करने का मौका

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से टैली अकाउंटिंग कोर्स का दूसरा बैच चार जुलाई से शुरू होगा। इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है। यह प्रशिक्षण निशुल्क है। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा है कि चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में इसी साल एक अप्रैल को टैली अकाउंटिंग कोर्स शुरू किया गया था। प्रथम बैच में 40 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 30 जून को प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 12.6.2022)

एक पोर्टल से ले सकेंगे 13 स्कीम के लोन

प्रधानमंत्री मोदी ने जन समर्थ पोर्टल किया लांच, छात्र, किसान, व्यापारी और उद्यमियों के सपने होंगे पूरे

अब लोन लेना बिल्कुल आसान होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जून 2022 को जन समर्थ नामक पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसकी मदद से 13 प्रकार की सरकारी स्कीम के तहत बिना बैंक के चक्कर लगाए लोन लिया जा सकेगा। सोमवार 6 जून 2022 से वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मामले के मंत्रालय की तरफ से शुरू किए गए आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन पर पीएम ने एक, दो, पाँच, 10 और 20 रुपये के विशेष सिक्के भी जारी किए। इन पर आजादी के अमृत महोत्सव का लोगो है। सिक्के को दिव्यांगजन भी आसानी से पहचान सकेंगे।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम अलग-अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, उद्यमियों का, व्यापारियों-कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगा ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का सबसे ज्यादा लाभ होगा और वे कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह हमारे युवा आसानी से ये तय कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्ट अप इंडिया लोन चाहिए।

हमारे बैंक सप्लाई चेन का हिस्सा कैसे बनें, इस पर फोकस जरूरी : प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय से कहा कि हमारे बैंक, हमारी करेंसी इंटरनेशनल सप्लाई चेन का और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का व्यापक हिस्सा कैसे बनें, इस पर भी फोकस जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने वित्तीय समावेश के लिए प्लेटफार्म तैयार किए हैं और अब हमें उनके सदुपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ानी है।

युवाओं और मध्यम वर्ग को मिला एक बड़ा प्लेटफार्म : पीएम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को और मध्यम वर्ग को एक बड़ा प्लेटफार्म मिला है। जब लोन लेने में आसानी होगी, प्रोसेसिग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। ये पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है।

• सभी क्रेडिट लिंक्ड रकीम अलग-अलग माइको साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर होंगी उपलब्ध • आनलाइन ले सकेंगे मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया से जुड़े लोन की जानकारी

जन समर्थ पोर्टल के फायदे : • लोन के लिए आवेदक को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पात्र होने पर आनलाइन मंजूरी दी जाएगी। • आवेदक के खाते में सीधा उसका भुगतान किया जाएगा। आनलाइन ही अपने आवेदन पर होने वाली कार्यवाही को देख सकेंगे। • सभी सरकारी बैंक के साथ 125 विभिन्न वित्तीय संस्थान इस पोर्टल से जुड़े हैं। • लोन लेने के इच्छुक आवेदक के आवेदन को इन सभी वित्तीय संस्थानों के पास आनलाइन भेज दिया जाएगा। • फिलहाल चार श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इनमें शिक्षा, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरूआत एवं जीवनयापन लोन शामिल है। • आवेदक लोन नहीं मिलने पर या आनकानी करने पर उसकी शिकायत भी आनलाइन कर सकेंगे। • तीन दिनों में शिकायत का निपटान करना होगा। • धीरे-धीरे इस पोर्टल का और विस्तार किया जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.6.2022)

ड्राफ्ट एम.एस.एम.ई. पॉलिसी पर आयोजित कार्यशाला में चैम्बर के प्रतिनिधि शामिल हुए

एम.एस.एम.ई. पॉलिसी पर विडियो कांफ्रेंसिंग माध्यम से आयोजित कार्यशाला में सम्मिलित इंडस्ट्रीज सब कमिटि के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी (सबसे नीचे)।

दिनांक 9 जून 2022 को ड्राफ्ट MSME Policy पर एक कार्यशाला का आयोजन अपर-सचिव-सह-विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) की अध्यक्षता में Video Conferencing (VC) के माध्यम से हुई।

कार्यशाला में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से इंडस्ट्रीज सब-कमिटी के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी सम्मिलित हुए।

बेला लेदर पार्क में शुरू हुआ उत्पादन

बेला लेदर पार्क में उत्पाद शुरू हो गया है। जल्द ही अपने शहर में बने जूते-चप्पल पहन सकेंगे। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव व बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के प्रबंधक निदेशक संदीप पौंड्रिक ने 13 जून, 2022 को बेला औद्योगिक क्षेत्र में लेदर गुड्स पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने यहाँ बैग व ट्रॉली बैग निर्माण कार्य का जायजा लिया।

फिलहाल पार्क में बैग व ट्रॉली बैग का उत्पादन शुरू हो चुका है। जल्द ही यहाँ पर जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, जैकेट व दस्ताने आदि उत्पादों का उत्पादन हो सकेगा।

प्रधान सचिव ने कहा कि लेदर्स गुड्स पार्क रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभायेगा। यहाँ पर उद्यमियों व कारीगरों को तकनीक व संसाधन उपलब्ध करा दिये गये हैं। करीब 15 करोड़ की लागत से बने लेदर्स गुड्स पार्क में 96 इकाई सह बिक्री केन्द्र हैं। 12 केन्द्रों में शेड के अलाया एक बड़ा कॉमन फैसलिटी केन्द्र है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.6.22)**

तीन साल में चालू नहीं होने वाली औद्योगिक इकाइयों के निवेश प्रस्ताव रद्द किए जाएंगे

- **उद्योग विभाग ऐसे 672 प्रस्तावों को रद्द करने के लिए भेजेगा पत्र**
- **आवेदन मंजूरी के बाद 811 निवेशकों से नहीं हो पा रहा संपर्क**

निवेश प्रस्ताव देने के बाद उसके मंजूर होने की स्थिति में उद्यमियों को उसपर अमल भी करना होगा। वरना, सरकार उसे खारिज कर देगी। उद्योग विभाग द्वारा ऐसे लगभग डेढ़ हजार इकाइयों के निवेश प्रस्ताव रद्द किए जा सकते हैं।

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वैसे निवेश प्रस्ताव जिनको स्टेज-1 क्लीयरेंस मिल चुका है, यानी जो उद्योग लगाने के लिए सरकार की सहमति का पहला पड़ाव पार कर चुके हैं, लेकिन गत तीन साल से उनके प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं है तो उसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने ऐसे 672 प्रस्तावों को चिन्हित किया है, जिनका तीन वर्ष से अधिक होने के बाद भी उनके द्वारा अब तक वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस हासिल नहीं किया गया है। पिछले राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में इन उद्यमियों का स्टेज-क्लीयरेंस रद्द कर ई-मेल और निबंधित डाक से सूचना देने का निर्देश दिया गया है।

इसके साथ ही, 811 वैसे आवेदन भी हैं जिनको पहले चरण की मंजूरी तो मिल गई लेकिन इनके निवेशक लम्बे समय से खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। निवशकों से विभाग का संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। विभाग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों और उद्योग संघों से उनकी सूची लेकर ताजा हालात पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। यह अभी तक विभाग को नहीं मिली है।

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई पर्षद की पिछली बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारियों को ताकीद की गई कि इस बाबत पूरी जानकारी लेकर उसका ब्योरा अगली बैठक में उपलब्ध कराएँ। बताया गया कि यदि इन उद्यमियों से संपर्क नहीं हो पाता है तो इनके भी प्रस्ताव रद्द किए जा सकते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.6.2022)

टेक्सटाइल में 63 प्रतिशत बिहारी, लौटे तो बांग्लादेश से होंगे आगे : शाहनवाज

बिहार की कमजोरी को हम ताकत बनाएंगे। यहाँ की बढ़ती जनसंख्या और बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। अब इसे ही उद्योग विभाग अपनी ताकत बनाने जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि बिहार के कामगार जो दूसरे राज्य को अपनी हुनर से अवाद कर रहे हैं, उनको अपने घर के पास ही अवसर मिले। टेक्सटाइल में 63 प्रतिशत बिहारी काम करते हैं, उनके लौटने पर बिहार बांग्लादेश और वियतनाम से भी आगे निकल जाएगा। उक्त बातें उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मौर्या होटल में लेट्स इंस्पायर बिहार के वायब्रेन्ट बिहार ग्लोबल समिट में कही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंत्री शाहनवाज हुसैन, लेट्स इंस्पायर के संस्थापक संरक्षक गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव, ढाका से आये ओपी झा, यूएसए की माला झा. गुजरात चैप्टर के संयोजक मोहन झा ने किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि निवेशकों के लिए इंदिरा भवन में सेंटर बनाया जा रहा है। सात दिनों के अंदर क्लीयरेंस मिलेगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.6.2022)

नई औद्योगिक इकाइयों के लिए जिलों को जमीन चिन्हित करने का दिया गया निर्देश

नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना को फिर से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस क्रम में सभी जिलाधिकारियों को विभाग ने पत्र लिखा है। इसके तहत न्यूनतम 25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है।

उद्योग निदेशक के स्तर पर सभी जिलाधिकारियों को पत्र : उद्योग निदेशक के स्तर पर जारी पत्र में जिलाधिकारियों को कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऐसे भूखंड का चयन करें, जो आबादी से दूर हो। जमीन वन क्षेत्र में नहीं हो, वहाँ जलजमाव नहीं हो और किसी भी तरह के विधिक विवाद में फंसी नहीं हो।

एनएच या एसएच के किनारे तलाशी जा रही जमीन : इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उद्योग विभाग ने जिलाधिकारियों को यह लिखा है कि औद्यौगिक क्षेत्र बनाए जाने हेतु जो जमीन चिह्नित की जाए, वह राष्ट्रीय उच्च पथ या फिर राज्य उच्च पथ के करीब हो। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.6.22)**

अब निर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये का लोन

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमइजीपी) के तहत अब निर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख और सेवा क्षेत्र में 20 लाख का लोन मिलेगा। इससे पहले इस योजना में क्रमश : 25 और 10 लाख रुपये का लोन मिलता था। इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक ने बिहार उद्योग निदेशक को पत्र में बताया है कि बैंक की सहमति से निर्धारित लोन से अधिक भी लिया जा सकता है।

हालांकि, अनुदान की राशि 50 और 20 लाख पर ही देय होगी। पीएमइजीपी में यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए किया गया है। पीएमइजीपी के नये प्रावधान के मुताबिक खादी ग्रामोद्योग आयोग ने सब्सिडी की

चैम्बर अध्यक्ष ESIC के आदर्श हॉस्पिटल के हॉस्पिटल विकास कमिटी की 47वीं बैठक में शमिल हुए

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आदर्श हॉस्पिटल फुलवारी शरीफ के हॉस्पीटल डेवलपमेंट कमिटी की 47वीं बैठक में उपस्थित माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव (बाँये) एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (दाँयें से प्रथम) एवं अन्य

दिनांक 16 जून 2022 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आदर्श हॉस्पिटल फुलवारी शरीफ के Hospital Development Committee की 47वीं बैठक हॉस्पिटल प्रांगण में हुई।

इस बैठक में चैम्बर की ओर से अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल सम्मिलित हुए।

नयी दर तय की है। जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्र में परियोजना की लागत का 15 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 25 फीसदी अनुदान दिया जायेगा। लाभार्थी का योगदान प्रोजेक्ट लागत का 10 फीसदी देना होगा। विशेष आरक्षित वर्ग के लोगों को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 35 फीसदी अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा और कई तरह की सुविधाओं में इजाफा किया गया है। इसके लिए पीएमइजीपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(साभार : प्रभात खबर 11.6.2022)

आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित किया

आयकर विभाग ने अचल संपत्ति की बिक्री से होने वाले दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के आकलन को लेकर चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को अधिसूचित कर दिया है।

करदाता लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआइ) का उपयोग महंगाई समायोजित करने के बाद पूंजीगत वस्तुओं की बिक्री से होने वाले लाभ के आकलन के लिए करते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सुचकांक 331 है।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को आयकर कानून, 1961 के तहत हर साल अधिसूचित किया जाता है। किसी भी पूँजीगत संपत्ति की बिक्री के समय पूंजीगत लाभ की गणना के लिए अधिग्रहण लागत के आकलन में इसका उपयोग किया जाता है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 16.6.2022)

जीएसटी विभाग 2018-19 के मामलों की फिर पड़ताल करेगा

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड को आमदनी और पुराने रिटर्न में गड़बड़ी देखने को मिली

देश भर में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी विभाग पुराने मामलों कि स्कूटनी करने की तैयारी कर रहा है। हिन्दुस्तान को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक केन्द्रय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डाटा एनालिसिस के जरिए बड़े पैमाने पर ऐसे मामलों की पहचान की है जिनमें लोगों की आमदनी और उनके पुराने रिटर्न में गड़बड़ी देखने को मिली है। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.6.2022)

प्लास्टिक अपशिष्ट नियमावली के तहत प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर, ब्रांड ऑनर एवं प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाइक्लर्स के लिए

अति आवश्यक - सूचना

सभी प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक (Producers), आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ उत्पादों के आयातक (Importers), ब्रांड स्वामियों (Brand Owners) (जिसमें ऑनलाइन प्लेटफार्म/मार्केटप्लेस और सुपर मार्केट/खुदरा श्रृंखला शामिल हैं) एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्त्ता (Plastic Waste Processors / Recyclers) कृपया ध्यान दें।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को दिनांक 16 फरवरी, 2022 द्वारा संशोधित करते हुए इसके अनुसूची-2 में प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये **'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (Extended Producer Responsibility)** के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देश के आलोक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित 'केन्द्रीकृत पीर्टल' (https ://cpcbeprplastic.in) पर उपरोक्त वर्णित सभी हितधारकों को पंजीकरण कराना आवश्यक है। वैसे ब्रांड ऑनर जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म अथवा लघु श्रेणी के अर्न्तगत आते हैं पर यह प्रावधान लागू नहीं है परन्तु मध्यम उद्यम पर यह लागू है।

यह दिशा निर्देश अधिसूचना की तिथि 16 फरवरी, 2022 से प्रभावी है। इस सबंध में विस्तृत जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वेबसाईट https://cpcb.nic.in पर "Registation of PIBOs and PWPs under Plastic Waste Management Rules, 2016" पर प्राप्त कर सकते हैं।

सदस्य-सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र रोड, पटना-800 010

दूरभाष नं. : 0612-2261250/2262265, फैक्स : 0612-2261050

ई-मेल : msbspcb-bih@gov. in, वेबसाईट : http://bapcb.bihar.gov. in

(साभार : प्रभात खबर 12.6.2022)

करदाताओं को आयकर के पुराने मामलों में बड़ी राहत देने की तैयारी

आयकर विभाग टैक्स के पुराने मामलों में करदाताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जिन करदाताओं के रिटर्न और वित्तीय जानकारियों में अंतर होगा, उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ही आगे की कार्रवाई होगी।

हिन्दुस्तान को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, छह साल से पुराने लंबित मामलों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे करीब 90 हजार करदाताओं को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। विभाग का मानना है कि इस प्रक्रिया से 10% यानि करीब 9000 मामलों में कमी भी आ सकती है।

दरअसल 2021 के बजट में सरकार ने कानून बनाया था कि तीन साल से ज्यादा पुराने मामलों को नहीं खोला जाएगा। ऐसे मामलों में 31 मार्च 2021 को नोटिस भेजा जाना था। लेकिन, सभी को नोटिस नहीं भेजा जा सका। इस कारण तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई। तारीख के आदेश को कई लोगों ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मामला जनहित से जुड़ा है, इसलिए विभाग तारीख बढ़ाकर नोटिस भेज सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.6.2022)

मई में जीएसटी संग्रह 1.41 लाख करोड़ रुपये पहुँचा

मई महीने में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार दिनांक 1.6.2022 को जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी करते हुए यह जानकारी दी।

मंत्रालय के अनुसार, मई में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,40,885 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, बीते अप्रैल महीने में यह 1.68 लाख करोड़ रुपये के रिकॉड स्तर पर रहा था। मार्च में भी यह 1.42 लाख करोड़ रुपये था। मंत्रालय के अनुसार, मई में अब तक का चौथा सर्वाधिक कर संग्रह हुआ है। वर्ष 2022 में सबसे कम फरवरी में 1.33 लाख करोड़ रुपये का संग्रह हुआ। वित्त मंत्रालय के अनुसार, मई के संग्रह में केन्द्रीय जीएसटी का हिस्सा 25,036 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी संग्रह 32,001 करोड़ रुपये रहा। एकीकृत जीएसटी 73,345 करोड़ रुपये रहा। इसके अलावा 10,502 करोड़ का उपकर भी जुटाया गया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.6.2022)

अब गिफ्ट आइटम भी आयकर के दायरे में

आयकर कानून में टीडीएस के प्रावधानों को बढ़ाते हुए धारा 194 R को जोड़ा गया है। इसके अनुसार गिफ्ट देने वाली कंपनी उपहार पाने वाले से 10% टीडीएस वसूलेगी। टीडीएस काटने के बाद ही गिफ्ट दिया जायेगा। इसके बाद कंपनी आयकर विभाग के टीडीएस रिटर्न में भी इसका जिक्र करेगी और वसूली हुई राशि को जमा भी करेगी। यह प्रावधान एक जुलाई, 2022 से लागू होगा। हालांकि, 20 हजार रुपये तक के उपहार पर छूट रहेगी।

सीए राजेश खेतान ने बताया कि गिफ्ट दी गयी वस्तु का उस समय का बाजार मूल्य देखकर उस पर टीडीएस काटा जायेगा। टीडीएस रिटर्न फाइल होने से आयकर विभाग को पता चल जायेगा कि वह गिफ्ट किसे दिया गया और कीमत क्या थी। साथ ही गिफ्ट पाने वाले के इनकम टैक्स पोर्टल में 26 एएस में यह अपने आप दिखने लगेगा। इसलिए गिफ्ट लेने वालों को भी अपनी आय में इस उपहार की कीमत को जोड़ना होगा। खेतान ने बताया कि सिंगल स्वामित्व वाली फर्म, हिन्दू अभिविभाजित परिवार, जिनके व्यापार से बिक्री एक करोड़ रुपये से कम या पिछले वित्तीय वर्ष में पेशे से प्राप्तियाँ 50 लाख रुपये से कम हों, तो उस पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। (साभार : प्रभात खबर 10.6.2022)

मुआवजा राशि से आयकर नहीं काटा जा सकता : कोर्ट

बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि बम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए नेशनॅल हाईस्पीड रेल कॉपेरिशन लिमिटेड (एनएचएसआर सीएल) द्वारा अधिग्रहीत जमीन के लिए मुआवजे के माध्यम से दी गयी राशि से आयकर नहीं काटा जा सकता। न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एम जी सेवलीकर की खंडपीठ ने सीमा पाहिल की याचिका पर बृहस्पतिवार को यह व्यवस्था दी। पाटिल ने एनएचएसआरसीएल द्वारा परियोजना के लिए ठाणे जिले के भिवंडी में उनकी जमीन का अधिग्रहण किए जाने के बाद काटे गए आयकर के रिफंड का अनुरोध किया है। (सााार : राष्ट्रीय सहारा, 11.6.2022)

भ्रामक विज्ञापन पर हो सकता है 50 लाख तक का जुर्माना

उपभोक्ता मामलों के विभाग की जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस विभाग के तहत काम करने वाली एजेंसी केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने और ऐसे विज्ञापनों से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से **"भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन, 2022"** को अधिसूचित किया है। विज्ञप्ति के अनुसार इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर सीसीपीए किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। बाद के उल्लंघनों के लिए सीसीपीए 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 11.6.2022)

देश में 45 हजार मेगावाट बढ़ी एक साल में बिजली की मांग

उत्तर भारत के राज्यों में पड़ने वाली तेज गर्मी और कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था के पूरी तरह खुलने से इस साल देश में बिजली की मांग में रिकार्ड 40,000-45,000 मेगावाट प्रति दिन की बढ़ोतरी हुई है।

एक साक्षात्कार में बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के आठ वर्षों के दौरान उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि, देश को एक ट्रांसमिशन ग्रिड में पिरोने और वितरण प्रणाली को मजबूत करने से 23 से 23.5 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो पा रही है। 9 जून को देश में बिजली की मांग 2,10,792 मेगावाट के सर्वकालिक उच्चस्तर पर रही। इस मांग को पूरा करने के लिए बिजली संयंत्र पूरे जोरों पर काम कर रहे हैं और सरकार ने घरेलू आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए कोयले के आयात का आदेश दिया है। पिछले आठ वर्षों के दौरान पूरा बिजली क्षेत्र बदल गया है। (साभार : दैनिक जागरण, 13.6.2022)

स्मार्ट मीटर की अधिक बिलिंग समेत हर तरह की शिकायत दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

गलत मीटर रीडिंग, स्मार्ट मीटर लगने के बाद अधिक बिजली बिल समेत हर तरह की शिकायत अब विद्युत उपभोक्ता बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में दर्ज करा सकते हैं। शिकायत पर कार्रवाई भी होगी।

बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की अधिसूचना के अनुसार हर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किया गया है, जिसमें विद्युत कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी द्वितीय सदस्य एवं एनजीओ के प्रतिनिधि तृतीय सदस्य के रूप में रहेंगे।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में नया विद्युत संबंध, विद्युत संबंध विच्छेदन, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति (यथा वोल्टेज, निर्बाध विद्युत आपूर्ति में समस्या आदि), विद्युत विपत्र यानी निर्धारित दर से अधिक विद्युत विपत्र, गलत मीटर रीडिंग, विपत्र भुगतान से संबंधित आदि एवं असुरक्षित-जोखिमपूर्ण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.6.2022)

कहीं से भी खरीद सकेंगे ग्रीन एनर्जी

केन्द्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी ओपेन एक्सेस नामक नया नियम अधिसूचित किया

• औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के साथ आम उपभोक्ता भी ले सकेंगे ग्रीन एनर्जी • कोई भी डिस्काम ग्रीन एनर्जी देने से नहीं कर सकेगा इन्कार, आवेदन पर 15 दिनों में देनी होगी मंजूरी

औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता किसी भी जगह से ग्रीन एनर्जी खरीद सकेंगे। बिजली मंत्रालय ने इस संबंध में ग्रीन एनर्जी ओपेन एक्सेस नामक नया नियम अधिसूचित किया है।

इसके मुताबिक दिल्ली का कारोबारी और औद्योगिक उत्पादन करने वाला उद्यमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान की बिजली वितरण कंपनी (डिस्काम) से ग्रीन एनर्जी खरीद सकता है। आम उपभोक्ता भी अपने इलाके की डिस्काम से ग्रीन एनर्जी देने की मांग कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक कोई भी डिस्काम ग्रीन एनर्जी देने से इन्कार नहीं कर सकता है। ग्रीन एनर्जी ओपेन एक्सेस नियम को अमल में लाने के लिए बिजली मंत्रालय एक नोडल एजेंसी बनाएगा और एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा।

"सभी उद्यमियों और कारोबारियों को ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट होने के लिए कहा जाएगा। इससे कोयले से उत्पादित बिजली के इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा। हालांकि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा।"

– आर. के. सिंह, बिजली मंत्री

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 8.6.2022)

बिहार में जरूरत से दोगुनी हुई बिजली आपूर्ति क्षमता

लगातार बढ़ रही बिजली उपभोक्ताओं की संख्या, मांग को देखते हुए बढ़ाई गई क्षमता

बिहार में जरूरत से दोगुनी बिजली आपूर्ति की क्षमता तैयार हो गई है। इस साल के अंत तक राज्य में बिजली की अधिकतम मांग सात हजार मेगावाट होने की उम्मीद है, जबकि पिछले महीने ही बिजली कंपनी ने लगभग 15 हजार मेगावाट आपूर्ति की क्षमता विकसित कर ली है। साल 2005 में राज्य की बिजली आपूर्ति क्षमता मात्र एक हजार मेगावाट की थी। 17 साल में बिजली कंपनी ने 15 गुना बिजली आपूर्ति क्षमता विकसित करने में कामयाबी हासिल की है।

ऐसे बढ़ती गई आपूर्ति क्षमता

वर्ष	आपूर्ति क्षमता (मेगावाट में)
2005	1000
2012	2000
2016-17	5600
2017-18	9064
2018-19	10144
2019-20	11280
2020-21	12712
2021-22	14808

"बिजली के क्षेत्र में बिहार ने शून्य से सफर शुरू किया है। 700 मेगावाट से सफर की शुरूआत हुई थी। अब बिहार में जरूरत के अनुसार संचरण क्षमता विकसित हो गई है।"

- बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास विभाग

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.6.2022)

दवा की ऑनलाइन खरीदारी से व्यापारियों के छूट रहे पसीने

पटना में कोरोना काल से लगातार ऑनलाइन दवाओं की खरीद में उछाल आई है। इससे न सिर्फ थोक दवा व्यापारियों के यहाँ दवाओं की बिक्री कम हुई है बल्कि दवा की विश्वसनियता पर भी सवाल भी उठने लगे हैं। क्योंकि ऑनलाइन दवा 40 से 60 परसेंट छूट पर लोगों को मिल रही है। जबकि दुकानों में इतनी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। आलम ये है कि पटना में प्रति दिन 2.73 करोड़ की दवा की बिक्री घटकर 1 करोड़ 93 लाख रह गई है। ये हम नहीं पटना में थोक दवा व्यापार करने वाले व्यापारियों का कहना है।

" ऑनलाइन कंपनियों को लेकर अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। वैसे जिस शहर से दवा की सप्लाई होती है, कार्रवाई भी वहीं से होगी। शिकायत मिलने पर अग्रेसित कर दिया जाएगा।"

- विश्वजीत दास गुप्ता, ड्रग कन्ट्रोलर, पटना नगर निगम क्षेत्र

"ऑनलाइन दवा कंपनियों की वजह से थोक व्यापारियों के दवा कारोबार पर असर पड़ा है। बीपी और ब्लड शुगर की दवा 20 से 30 परसेंट ऑनलाइन मंगाए जा रहे हैं।"

- प्रसन्न कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन

(विस्तृत : I-nest, 11.6.2022)

जमुई में सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खुदाई होगी, एमओयू एक महीने में

• देश का 44% सोना अकेले सोनो में

• बिहार सरकार ने खुदाई कराने का लिया फैसला

बिहार सरकार ने जमुई में 'देश के सबसे बडे' स्वर्ण भंडार की खुदाई की अनुमति देने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के अनुसार, जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क समेत लगभग 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार मौजूद है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सह खान आयुक्त हरजोत कौर बम्हरा ने बताया, "राज्य का खान और भूतत्व विभाग जमुई में सोने के भडार के अन्वेषण के लिए जीएसआई और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) सहित अन्वेषण में लगी एजोंसियों के साथ परामर्श कर रहा है।" उन्होंने बताया, "जीएसआई के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें जमुई जिले के करमाटिया, झाझा और सोनो जैसे क्षेत्रों में सोने की मौजूदगी का संकेत मिला था।"

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 19.5.2022)

बदलाव : आभूषण हमारे नहीं, कहकर मुकर न पाएंगे ज्वेलर

देशभर में एक जून से हॉलमार्क अनिवार्यता का दूसरा चरण लागू

अब ज्वेलर यह गहने हमारे यहाँ के नहीं हैं, कहकर मुकर न सकेंगे। उन्हें जेवरात बेचने की पूरी जानकारी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) पोर्टल पर देनी होगी। नई व्यवस्था के तहत गहने बनाने वाले से लेकर ज्वेलर और खरीदने वाले का नाम, वजन और दाम सबकुछ पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।

केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने हॉलमार्क हाई लेवल कमेटी के सदस्यों से 30 मई तक सुझाव मांगे हैं। एक जून से हॉलमार्क का दूसरा चरण सख्ती के साथ अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी है। पिछले साल हॉलमार्क अनिवार्यता व्यवस्था में देश के 256 जिले शामिल किए गए थे। एक जून से 32 और जिले लिस्ट में शामिल हो जाएँगे। जिससे यह संख्या 288 पहुँच जाएगी।

ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि ज्वेलरी बाजार की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए पोर्टल पर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के सुझाव तैयार किए जा रहे हैं।

टांके वाले गहनों की जाँच भी करा सकेंगे ग्राहक

हालमार्क के दूसरे चरण के तहत बीआईएस ने कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ पर भी हॉलमार्किंग लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में भी कमेटी के सदस्यों से सुझाव मांगे गए हैं। नई व्यवस्था के तहत टांके वाली ज्वेलरी की भी जाँच हालमार्क सेंटर पर कराई जा सकती है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 30.5.2022)

ई-कॉमर्स आभूषण निर्यात के लिए एसओपी का मसौदा जारी

• वित्त मंत्री ने बजट में इसके लिए फ्रेमवर्क बनाने की घोषणा की थी • एसओपी पहले आइसीटी-मुम्बई, दिल्ली और जयपुर के इसीसीएस पर लागू होगा

वित्त मंत्रालय ने कूरियर मार्ग से ई-कॉमर्स आभूषण निर्यात की सुविधा देने के लिए एसओपी का मसौदा तैयार किया है। इसके जरिये यह आभूषण निर्यात की मंशा रखने वाले मैन्युफैक्चरर्स और व्यापारियों को एक सरलीकृत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना चाहता है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कूरियर के जरिये ई-कॉमर्स मंचों पर कीमती धातुओं और नकली आभूषणों के निर्यात की सुविधा देने के लिए प्रस्तावित एसओपी का एक मसौदा तैयार किया है। इस पर सभी हितधारकों से 14 जून तक सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित की गयी है। इसके अलावा लौटाये गये आभूषणों के दोबारा आयात के लिए शर्तों को निर्धारित करने वाली अधिसूचना जारी करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

(साभार : प्रभात खबर 13.6.2022)

राज्य में चार एनएच परियोजनाओं को फॉरेस्ट क्लीयरेंस का इंतजार

राज्य में चार एनएच परियोजनाएँ फॉरेस्ट क्लीयरेंस के इंतजार में अटकी हुई हैं। एनएचएआइ ने राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख कर फॉरेस्ट क्लीयरेंस मांगा है। इसके मिल जाने के बाद इन सड़क परियोजनाओं का निर्माण अगले साल तक पूरा हो जायेगा। इससे आम लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। फॉरेस्ट क्लीयरेंस के इंतजार में अटकी सड़कों मे छपरा में एनएच - 331 (पुराना - 101), बिक्रमगंज-दावाथ-

फोन व इ-मेल पर भी कर सकेंगे बिजली समस्या की शिकायत

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष, सदस्य व उनका मोबाइल नंबर-इ मेल आइडी

आपूर्ति अंचल	अध्यक्ष	द्वितीय सदस्य	मोबाइल नंबर	इ-मेल आइडी
पेसू पूर्वी	नवीन कुमार	अमृता सिंह	9262398386	cgrfpesueast@gmail.com
पेसू पूर्वी	प्रफुल्ल लता	सम्पा नंदी	6287642515	cgrfpesuwestpatna@gmail.com
पटना ग्रामीण	अरविद कुमार	नवीन चन्द्र अग्रवाल	9031200963	cgrfpatnacircle@gmail.com
नालंदा	अमितेश कुमार सिंह	कुमार भांस्कर	9262296788	cgrfnalanda@gmail.com
आरा	मृत्युंजय कुमार सिंह	कार्तिक कुमार	9031013781	cgrfaracircle@gmail.com
गया	रणधीर कुमार सिन्हा	अनुप कुमार	9031200964	gayacgrf@gmail.com
सासाराम	मिथिलेश कुमार	हरेन्द्र कुमार पांडेय	9031013782	cgrfsasaram@gmail.com
औरंगाबाद	रीतू अभिषेक	सोमेश कुमार	7763814444	esecgrfabad@gmail.com
भागलपुर	कुमार प्रशांत	मनोरंजन कुमार	7763814556	cgrf.bhagalpur@gmail.com
मुंगेर	मृत्युंजय कुमार	सूर्यकांत कुमार	9031200965	cgrfmunger@gmail.com
जमुई	मनोज कुमार	धीरज कुमार	7368808302	cgrfjamui@gmail.com

(विस्तृत : प्रभात खबर 8.6.2022)

मलियाबाद-नवानगर-डुमराव एनएच - 120, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर नया फोरलेन पुल, कैमूर और बक्सर जिले में एनएच - 319ए शामिल हैं।

भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर नया फोरलेन पुल एनएच - 131बी का निर्माण होगा। गंगा नदी का यह इलाका डॉल्फिन अभ्यारण्य है। इसलिए यहाँ पुल निर्माण के पहले वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस आवश्यक है। राज्य सरकार के स्तर से यह क्लीयरेंस अप्रैल 2022 में मिल चुका है, अब केन्द्र सरकार के वाइल्ड लाइफ डिवीजन से इसकी अनुमति मिलने का इंतजार है। कैमूर और बक्सर जिला में एनएच- 319 ए की चौड़ाई बढ़ा कर दो लेन पेव्ड सोल्डर के साथ निर्माण होना है। करीब 45 किमी लबाई में इस सड़क का निर्माण फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए अटका हुआ है। (विस्तृत : प्रभात खबर 9.6.2022)

एएसआई रैंक के अफसर नहीं काट सकते चालान

राजधानी में एएसआई रैंक के पुलिस पदाधिकारी वाहनों पर जुर्माना नहीं कर पायेंगे। इस रैंक के पुलिसकर्मियों का चालान काटने का अधिकार पिछले एक मई से ही खत्म हो चुका है। बिहार में कम से कम दारोगा रैंक के पुलिस पदाधिकारी ही जुर्माना कर सकते हैं। हर बार एएसआई को पटना के रेंज आईजी दारोगा में वैकल्पिक प्रोन्नति देते थे ताकि वे जुर्माना वसूल सके।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.6.2022)

गंगा पथ पर वसूल होगा टोल टैक्स

कैबिनेट के पास भेजा जायेगा प्रस्ताव ख गंगा पथ पर देना होगा टोल टैक्स, पथ निर्माण विभाग दो माह में प्रस्ताव तैयार कर लेगा। इसके बाद फैसला होगा।

सूबे में राज्य सरकार की ओर से तैयार सड़क पर टोल टैक्स देना होगा। इसके लिए सरकार टोल टैक्स नीति शीघ्र लायेगी। टोल टैक्स नीति बनाने में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सरकार सहित एनएचएआइ की नीतियों का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार होगा। प्रस्ताव में छोटे वाहनों से लेकर भारी वाहनों तक का टोल निर्धारित होगा। पथ निर्माण विभाग दो माह में प्रस्ताव तैयार कर उसे कैबिनेट के पास भेजेगा। कैबिनेट से टोल टैक्स नीति को अनुमति मिलने पर टोल निर्धारित होगा। (विस्तृत : प्रभात खबर 3.6.2022)

सूचनार्थ

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) से सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को पंजीकृत किया गया है और पंजीकरण संख्या CSR00021092 है।

साथ ही, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(i) के तहत बीसीसीआई के पंजीकरण को निर्धारण वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है, अत: बीसीसीआई सीएसआर निधि हेतु अधिकृत है।

अरवल-सहार के बीच सोन पर बनेगा फोरलेन पुल

• 118 किमी होगी पटना-आरा-सासाराम फोरलेन ग्रीन फील्ड सड़क की लंबाई • 3500 करोड़ रुपये होगी इसकी लागत

राज्य में सोन नदी पर अरवल और भोजपुर के सहार के बीच करीब तीन किलोमीटर लंबा एक फोरलेन पुल बनेगा, यह पुल पटना-आरा-सासाराम फोरलेन ग्रीन फील्ड एनएच-119ए का हिस्सा होगा। इस सड़क की लंबाई करीब 118 किमी होगी और इसके निर्माण की अनुमानित लागत करीब 3500 करोड़ रुपये होगी। इस सड़क और पुल की डीपीआर बन रही है। उस पर केन्द्र सरकार की मंजूरी मिलते ही निर्माण की प्रक्रिया इस साल शुरू होने की संभावना है।

क्या होगा फायदा : 1. पटना से भोजपुर, अरवल, रोहतास, सासाराम होकर वाराणसी तक आने-जाने में समय की करीब आधी बचत होगी 2. शहर के बाहर से इस सड़क के गुजरने से आरा शहर को जाम से राहत मिल जायेगी।

यहाँ से होकर गुजरेगी सड़क : जिले में यह सड़क सदिसोपुर-नौबतपुर के बीच से शुरू होगी। इसके बाद यह अरवल होते हुए सोन नदी पार कर भोजपुर के सहार में पहुँचेगी। सहार से यह सड़क बागड़-गड़हनी मौजूदा सड़क से गुजरेगी। इसके बाद यह पीरो, हसन बाजार, विक्रमगंज, नोखा, संझौली होते हुए सासाराम से आगे सुअरा में जाकर एनएच दो यानी वाराणसी जाने वाली सड़क से जुड़ेगी। (साभार : प्रभात खबर 16.6.2022)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677505, 2677605, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296